दिनांक 9 दिसंबर 2020

स्वच्छ व सुंदर भिलाई

भिलाई बिजनेस सेंटर सील, निगम प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, रेरा में पंजीयन कराए बगैर अवैध रूप से भूखंड, अपार्टमेंट, भवन बिक्री के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने का मामला

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के द्वारा रेरा में पंजीयन कराए बगैर ही पंपलेट के माध्यम से अवैध रूप से भूखंड , अपार्टमेंट, भवन की बिक्री संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का मामला सामने आया है तथा इसकी आड़ में अवैध भूखंड विक्रय करने की जानकारी भी प्राप्त हुई है! इस प्रकार का कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत दंडनीय अपराध है! उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में बीबीसी के संचालक को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया था! और उल्लेखित किया था कि 1 सप्ताह के भीतर उपस्थित होकर या विधिवत रूप से जानकारी प्रस्तुत करें! पत्र का जवाब प्राप्त नहीं मिलने पर दूसरी बार जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरि ने भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया! पत्र के माध्यम से निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी! इस संबंध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भी भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया जा चुका है!

जनसंपर्क अधिकारी